कैदियों के अधिकार

प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाऐं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाऐं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकरता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाऐं छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही मे से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाऐं आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकायें छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांकः1.1.2012

(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

प्रश्नः हमारे देश में आज जेलों की क्या स्थिति है?

उत्तरः देश की एक तिहाई जेलों में न तो पीने का पानी उपलब्ध है और न ही स्वच्छ शौचघर। सत्तर प्रतिशत जेलों में अभी बिजली उपलब्ध नहीं है। कुछ जेलों में ही मनोरंजन की सुविधा है। कई बंदीगृहों में उपयुक्त वायुसंचार सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। दो तिहाई बंदीगृहों का निर्माण पिछली शताब्दी में हुआ था और कुछ इस शताब्दी के पहले दो दशकों में बनाये गये थे तब से जेलों में जाने वाली जनसंख्या में तो वृद्धि हुई है, पर उचित संख्या में जेलों के निर्माण पर न्यूनतम ध्यान दिया गया। इसी वजह से अधिकतर जेलों में आवश्यकता से अधिक लोग जेलों में बंद हैं।

प्रश्नः स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कैदियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार दिखाया गया?

उत्तरः पूर्वकाल में बंदी समाज के विरोधी माने जाते थे। उनकी लोगों द्वारा निन्दा की जाती थी और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। जेल के प्रशासन अधिकारी भी उनसे बुरा व्यवहार करते थें

प्रश्नः वैज्ञानिकों का अपराध के विषय में क्या दृष्टिकोण है?

उत्तरः अपराध एक रोगी मानसिकता का परिणाम है।

प्रश्नः गांधी जी का बंदियो और बंदीगृहों के विषय में क्या विचार था?

उत्तरः उनके दृष्टिकोण से अपराधियों का उपचार अस्पताल में रोगियों की तरह किया जाना चाहिए और जेलों में कैदियों को रोगियों की तरह भर्ती कर उनका उपचार और देखरेख की जानी चाहिए।

प्रश्नः कानून के अनुसार कैदियों को किस प्रकार देखा जाता है?

उत्तरः कानून की नजर में कैदी भी व्यक्ति है, पशु नहीं। न्यायमूर्ति वी0 आर0 कृष्णा अय्यर के अनुसार कारागारों के संरक्षकों को जो कैदियों की प्रतिष्ठा के विरूद्ध कार्य कर मनमाने ढंग से व्यवहार करते हों उन्हें दण्ड देना चाहिए क्योंकि जब भी कैदियों पर अभिघात किया जाता है उससे संविधान को प्रघात पहुंचता है।

प्रश्नः कैद का मुख्य प्रयोजन क्या है?

उत्तरः बन्दीकरण का मुख्य प्रयोजन है– अपराधिक व्यवहार का निराकरण जिससे उसका पुनरोद्धार किया जा सके और उसकी प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और अच्छी नागरिकता के गुणों को पुनः स्थापित किया जा सके। इस प्रकार वह व्यक्ति एक सामाजिक रूप से उपयोगी व्यक्ति बन बंदीगृह से बाहर निकल सके।

प्रश्नः दण्ड की धारण में क्या परिवर्तन लाए गये हैं ?

उत्तरः सभ्य समाज में दण्ड कैदियों की प्रतिष्ठा को निम्नीकृत नहीं करता। कैदियों के प्रति व्यवहार, मानवता और निष्पक्षता के मूल आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए। तिरस्कार और निर्दयता से किसी भी अपराधी को सुधारा नहीं जा सकता। दण्डनीय कार्यवाही प्रबुद्ध कर देने वाली होनी चाहिए अन्यथा कैदी समाज के दुश्मन बन सकते हैं। अपराधी होने का स्थायी क्षतचिन्ह व्यक्ति को एक सम्भावित अच्छे नागरिक से एक दृढ़ अपराधी बना सकता है।

प्रश्नः हथकड़ियों का प्रयोग किस प्रकार की विशेष परिस्थिति में मानवीय है?

उत्तरः हथकड़ियों का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति किसी गम्भीर अजमानतीय अपराध करने के कारण बंदी बनाया गया हो और उसने पहले भी अपराध किया हो, या उसने आत्महत्या का प्रयास करना हो या फिर भाग जाना चाहता हो।

प्रश्नः हथकड़ी लगाने के विरूद्ध क्या कियाविधिक रक्षोपाय हैं?

उत्तरः डेली डायरी रिपोर्ट में हथकड़ी लगाने के विस्तार कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए। इसके साथ उन तथ्यों को भी विस्तार जानकारी दी जानी चाहिए जिनके कारण हथकड़ी लगाई गयी हो।

राजनैतिक बंदियों को अगर हथकड़ी लगायी जाती है तो उन्हें सार्वजनकि स्थानों पर नहीं ले जाया जा सकता। पुलिस अफसर द्वारा जज को हथकड़ियॉं लगाए जाने का कारण बताना होगा और उसकी आज्ञा लेनी होगी।

प्रश्नः क्या विचाराधीन अपराधी को दिनचर्या में कोर्ट जाते समय हथकड़ी लगाना वैधिक है?

उत्तरः सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार (1980 Cri.L.J. 1930) दैनिक नित्यक्रम में हथकड़ी लगाना अवैध है। किसी भी केस में अगर मिलनेवाला अधिकतर दण्ड तीन वर्ष से कम है तो हथकड़ियॉ नहीं लगायी जा सकतीं।

न्यायालय के अनुसार किसी भी व्यक्ति के हाथ–पॉव बॉधना और उसे हथकड़ियों में जकड़ कर रास्ते में खड़ा कर उन्हें यातना देने के बराबर है, व उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाता है, यह समाज पर एक कलंक है और हमारी असंवैधानिक संस्कृति पर धब्बा है।

प्रश्नः सुनील बत्रा (1978 (4) SCC 494) के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने उन अपराधियों को सलाखों के पीछे, बेड़ियों में रखने के लिए क्या निर्णय दिया जिनका मुकदमा विचाराधीन हो?

उत्तरः बेड़ियों का प्रयोग कम से कम समय के लिए होना चाहिए। बेड़ियॉ पहनाने के कारणों का नित्य परीक्षण और उस पर विचार अनिवार्य है। इसे केवल विशेष तथा आपातकालीन परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए। अकसर इसका प्रयोग रात्रिकाल में नहीं किया जाता। रात्रिकाल में बेड़ियों का प्रयोग आपतिजनक है।

जेल के सुप्रिंटेन्डेंड के लिए यह आवश्यक बन जाता है कि वह कैदी की बेड़ियों सम्बंधी समस्या पर ध्यान दे और यह सिद्ध करे कि बेड़ियों द्वारा ही उसको हिरासत में रखा जा सकता है।

प्रश्नः सुनील बत्रा के केस में कैदियों पर यंत्रणा के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रस्ताव रखा?

उत्तरः सुनील बत्रा के दूसरे केस में (1980 (3) SCC 488) सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सुझाव रखेः–

- कैदियों के अधिकार सम्बंधी बड़े सूचना पत्र जारी करने चाहिए जिन्हें उचित स्थान पर दर्शाया जाए ;

- कैदियों को कैदी–नियमावली उपलब्ध करवाना आवश्यक है;

- बोर्ड ऑफ विस्टिरस द्वारा कैदियों के खान–पीन, स्वास्थ्य सफाई इत्यादि का परीक्षण करना आवश्यक है;

- वह रजिस्टर, रिकार्ड इत्यादि का भी परीक्षण करें और कैदियों का निवेदन सुन उसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें;

- मजिस्ट्रेट कैदियों से व्यक्तिगत रूप से मिलें और उनकी शिकायत सुनें;

- कैदी–नियमावली को हिन्दी मे प्रकाशित कर उसे बांटा जाएं जेल बुलेटिन जिनमें कैदियों के सुधार सम्बंधी कार्यक्रम हों उन्हें भी प्रकाशित किया जाए;

- सरकार को यह सुझाव दिया जाए कि वह कैदी अधिनियम का संशोधन करे और कैदी नियमावली को सुदृढ़ बनाए।

प्रश्नः क्या कारागार में अवैध निरोध के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है?

उत्तरः जी हां।

प्रश्नः क्या कैदियों को यह अधिकार है कि वह अपने अधिकारों ओर कर्तव्यों के बारे सूचना प्राप्त कर सकें?

उत्तरः कैदियों का यह मौलिक अधिकार है कि वह कानून में दिये गये अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसी कारण उन्हें जेल–नियमावली और कानूनों को सुलभ और सहज रूप से उपलब्ध करवाना आवश्यक है। सूचना प्राप्त कराने का अधिकार एक आधुनिक विचारधारा का प्रतीक है जो लोगों की स्वतंत्रता के संकल्प को प्रेरित करता है।

प्रश्नः क्या बन्दीकरण द्वारा कैदियों के सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं?

उत्तरः जी नहीं बन्दीकरण द्वारा कुछ मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं जैसे अबाध संचार का अधिकार अन्यथा कैदी को आम ही नागरिकों के स्वरूप अन्य मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।

प्रश्नः क्या शीघ्र विचारण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिये गए अधिकार में सम्मिलित है?

उत्तरः जी हॉ। सर्वोच्च न्यायालय ने केद्रा पड़िहया बनाम बिहार राज्य सरकार में यह कहा है कि शीघ्र विचारण का अधिकार संविधान में दिये मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है और यह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसीलिए यदि केस के निपटान में देरी होती है तो वह न्याय का प्रत्याख्यान होगा इसलिए न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दावों का शीघ्र निपटारा करें।

प्रश्नः जब कैदी को मृत्युदंड दिया गया हो तब क्या उन्हें सामाजिक सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है?

उत्तरः जी नहीं। उन्हें ऐसी सुविधांए जैसे खेल कूद के साधन, समाचार पत्र, किताबें, दूसरे कैदियों से मेलजोल और मुलाकात का अवसर प्रदान करना चाहिए पर यह सब जेल प्रशासन के नियमों के अनुसार और नियंत्रण में ही होना चाहिए यदि कैदी एकांत में रहकर चिन्तन अथवा प्रार्थना करना चाहता हो या वह अपने परिवार से मिलना चाहता हो, तो उसकी मासिक स्थिति व व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसे यह सुविधाएं प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए (देखिए सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के केस का निर्णय और चार्ज्स शोभराज बनाम दिल्ली प्रशासन का केस)

प्रश्नः क्या वह कैदी जिसे दण्ड दिया गया हो, स्वयं द्वारा पूर्ण किये गये कार्य के लिए मजदूरी की मांग कर सकता है?

उत्तरः जी हॉ। यह आवश्यक है कि कैदियों को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए।

प्रश्नः क्या किसी भी कैदी को उस पुस्तक को प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है जो पुस्तक उसने जेल में कैद में रह कर लिखी हो?

उत्तरः जी हॉ। प्रभाकर (AIR 1966 SC 424) के केस में अभियोगी ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक पुस्तक लिखी। उसे भारतीय रक्षा नियमों (1962) और बम्बई अभिरक्षा अवस्था अधिनियम 1951 के अन्तर्गत प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गयाA पर न्यायालय के आदेश के अनुसार इस प्रतिबंध को अवैधिक बताया गया है और पुस्तक प्रकाशित करने के निर्देश दिये गये और यह भी कहा गया कि इससे भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हैA

प्रश्नः क्या व्यक्तिगत अध्ययन के लिए कैदियों को पत्रिकांए और पुस्तकें प्राप्त करने के अधिकार से जेल अधिकारी रोक लगा सकता है?

उत्तरः जी नहीं। कुन्नीकल नारायाण (AIR 1973 केरल 97 के केस में) को माओ साहित्य प्राप्त करने से जेल अधिकारियों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया और इसके बारे में केरल हाई कोर्ट में याचिका द्वारा भी दावा किया गया पर इस किताब मे कोई भी ऐसा वाक्य नहीं पाया गया जिससे राज्य की सुरक्षा को हानि पहुँचती हो या फिर जन संरक्षण को नुकसान होता होA इसी कारण इन पुस्तकों को प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गईA

कोर्ट ने यह कहा कि पुस्तकें प्राप्त करने से रोकने का कोई आधार नहीं हैA संविधान के अनुच्छेद 19 खंड (1) (अ) में भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक को स्वतंत्रता है कि वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के साहित्य अथवा पुस्तक का अध्ययन कर सकता है। प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता हैं जब इससे राज्य की सुरक्षा को या लोकतंत्र को भय होA

प्रश्नः क्या किसी भी कैदी को यह अधिकार है कि वह अपने वकील से भेंट कर सके?

उत्तरः जी हांA यह कैदी का अधिकार है कि वह स्वनिर्णित कानूनी सलाहकार से भेंट कर सके अन्यथा यह संविधान के अनच्छेद 14 और 21 में दिये गये अधिकारों का उल्लंघन होगाA ऐसा नियंत्रण असंवैधानिक और अवैध हैA सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार (AIR 1981 SC 746) किसी भी कैदी के लिए यह उचित है कि वह दिन के उचित समय पर जेल सुपरिन्टेडेंट के अनमुोदन से स्वनियुक्त कानूनी सलाहकार से भेंट कर सकता है। जेल अधिकारी को ऐसा अनुमोदन शीघ्र ही बिना किसी देरी के प्रदान करना चाहिएA

प्रश्नः क्या किसी भी अपराध में अभियुक्त को अपने विरूद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य किया जा सकता है ?

उत्तरः संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी भी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरूद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकताA

प्रश्नः क्या कोई भी अभियुक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर सकता है जब उसे यह सन्देह हो कि ऐसा उत्तर देने से उसे इस केस में नहीं बल्कि उसके विरूद्ध चलने वाले किसी अन्य केस में उसको दोषी ठहराया जा सकता है?

उत्तरः जी हॉA

प्रश्नः क्या किसी भी अभियुक्त को निशुक्ल विधिक सेवा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है ?

उत्तरः जी हॉA यह हर उस व्यक्ति को जो किसी भी मामले में अभियुक्त हो और अपने लिए किसी कानूनी सलाहकार को नियुक्त न कर सकता हो, फिर चाहे गरीबी के कारण या अन्य किसी भी परिस्थिति में हो, उसे यह संवैधानिक अधिकार है कि राज्य उसे निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे और राज्य का संवैधानिक आज्ञापक है कि अगर न्याय की मांग होती वह अभियुक्त को एक कानूनी सलाहकार प्रदान करेंA (1980(1) SC 108)

प्रश्नः निशुल्क वैधिक सहायता प्राप्त करने के सम्बंध में कैदियों को क्या अधिकार प्रदान किये गये हैं?

उत्तरः यह निम्नलिखित हैंः

- सभी अदालतों को यह निर्देश दिए गये हैं कि वह किसी भी व्यक्ति को कारावास की सजा देते समय उसे फैसले की निशुल्क कापी प्रदान करे;

- कोई भी ऐसी कापी देते समय यह आवश्यक है कि यह कापी जेल अधिकारी कैदी को तुरन्त दे और उससे लिखत में उस कापी की प्राप्ति सूचना ले;

- यदि कैदी इस फैसले की अपील अथवा रिविजन फाइल करना चाहता हो तो जेल प्रशासन उस कैदी को इसके लिए ऐसी सारी सुविधाएं प्रदान करे;

- यदि कैदी किसी पर्याप्त कारणवश वकील को नियुक्त करने में असमर्थ हो तो कोर्ट मामले की गइराई को देखते हुए और केस को तथ्य को ध्यान में रखकर न्याय के आधार पर उस कैदी की प्रतिरक्षा के लिए किसी भी सक्षम सलाहकार को इसके लिए नियुक्त कर सकता हैA पर यह तभी हो सकता है जब पार्टी को इस पर कोई आपत्ति न होA

- वह राज्य सरकार जिसने कैदी को अभियुक्त ठहराया हो और न्यायिक प्रकिया आरम्भ करते हुए उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया हो उसे ही ऐसे व्यक्ति के लिए नियुक्त वकील को वह रकम देनी हो जो न्यायालय सही ठहराये;

• यह दिये गए उपबंध अनुच्छेद 21 द्वारा लागू होते हैं और अनुच्छेद 19(1) (D) में दिये प्रावधान उन्हें सशक्त करते हैंA इन्हें तभी लागू किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को प्रतिबंधित किया गया होA (देखें ''होसकोट केस'' SLP (CRIMINAL) No. 408 OF 1978 जिसका निर्णय 17, अगस्त 1978 को दिया गया)

प्रश्नः वह कैदी जिन पर मुकदमा अभी विचारण हो, उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए?

उत्तरः सुविधाएंः

• अपने मित्र तथा परिजनों से पत्र व्यवहारः

• वह मित्र और परिजन जो उनको जेल में मिलने आते हों, उनसे मिलने की सुविधाः

• अपने वकील या उसके ऐजेंट से वार्तालाप सलाह या परामर्शः

• रेडियो, संगीत या टेलिविजन की सुविधाः

• घर में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में भाग लेनाः

• व्यक्तित्व विकास के लिए सांस्कृतिक शिक्षाA

प्रश्नः कैदियों की शिकायत के निवारण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशों को लागू करने के लिए मुम्बई हाई कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र राज्य को क्या निर्देश दिये गए?

उत्तरः 1. शिकायतें लिखने के लिए बाक्स

उन शिकायत बाक्सों के अलावा जो पहले ही जेल के विभिन्न यूनिटों में रखे गये हैं, एक सील किया गया ताला बन्द कम्पलेंट बाक्स जेल के किसी विशिष्ट स्थान पर रखना होगाA इसकी चाबी विशेष रूप से जिला न्यायाधीश के पास रहेगीA सभी कैदियों को इस बाक्स के पास जाने पर प्रतिबंध नहीं करना चाहिएA यह बाक्स उस क्षेत्राधिकार के सेशन जज के सामने खोला जाएगाA वह जेल जहां पर सेशन जज का पहुँचना कठिन हो वहाँ वह एडीशनल डिस्ट्रक्ट जज या अस्टिेंट जज को यह कार्य करने के लिए नियुक्त करेंगेंA सेशन जज को न केवल इन शिकायतों को दूर

करने के लिए कदम उठाना होगा पर उन्हें इसका रिकार्ड भी रखना आवश्यक हैA इस रिकार्ड में यह दर्ज करना भी आवश्यक है कि समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गएA

2 शिकायत रजिस्टर

जिला अथवा सेशन जज शिकायत बाक्स में डाली गयी शिकायतों के सम्बंध में एक शिकायत रजिस्टर भी रखेंगे जैसा कि निर्देशित किया गया हो, यह रजिस्टर जेल आफिस में रहेगाA इसमें यह दर्ज किया जाना भी आवश्यक है कि किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए क्या उपयुक्त कदम उठाये गयेA

3 जिला अथवा सेशन जज/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण

जिला अथवा सेशन जज व्यक्तिगत रूप से उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली जेलों का निरीक्षण करेगें और कैदियों को यह भरपूर मौका देंगे कि उनकी वैधिक शिकायत दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंA वह उस जेल कि आम स्थिति का भी निरीक्षण करेंगे और महाराष्ट्र (कैदियों को सुविधा) नियम, 1962 में दिया गया हो, उसके अनुसार कैदियों को सुविधा प्रदान हो यह भी सुनिश्चित करेगें और उचित मामलों में वह हाई कोर्ट को रिपोर्ट पत्र द्वारा उस पर कार्यावाही करने के लिए लिख सकते हैंA

4 वकीलों द्वारा निरीक्षण

सेशन जज अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली जेलों का निरीक्षण करने के लिए वकीलों को भी नियुक्त कर सकते हैंA नियुक्त वकीलों को यह भी अधिकृत किया जा सकता है कि वह जेल का निरीक्षण करे और रिकार्ड की भी जॉच करें, इसके लिए जेल प्रशासन को उनकी पूरी सहायता करनी होगीA उन्हें यह भी अधिकृत किया जाता है कि वह कैदियों से व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप कर उनकी स्थिति को जानें और वह जेल की सुरक्ष व्यवस्था और अनुशासन सम्बंधी कैदियो की शिकायतें सुनें और उनसे यव्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर सके ं नियुक्त वकील जेल का नियमित अन्तराल पर निरीक्षण करेंगे और अपनी रिपोर्ट सम्बंधित कोर्ट को देगें जो शिकायतों की वैधिक सुनवाई में उपयुक्त सहायता प्रदान करेगीA

5 कैदी पत्र द्वारा जेल प्रशासन सम्बंधी अपनी शिकायतें निम्नलिखित अधिकारियों को दर्ज करवा सकते हैं;–

- क्षेत्रीय पुलिस डिप्टी इन्सपैक्टर जनरल

- जेलों का इन्सपैक्टर जनरल, पूना
- सचिव, गृह विभाग, बम्बई
- गृहमंत्री/मुख्यमंत्री मन्त्रालय, बम्बई
- जिला न्यायाधीश, हाईकोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज
- जिला न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील
- लोकपाल, लोक आयुक्त
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।

कोर्ट द्वारा यह निर्देश भी दिया गया कि इन सभी निर्देशों के विषय में जिला जज, सेशन जज और सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट के पास महत्वपूर्ण सूचना और आवश्यक कदम उठाने के लिए भेजना चाहिएA

प्रश्नः क्या कैदियों को पारिवारिक बंधन में रहने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए?

उत्तरः सुधारक न्यायिक प्रणाली (CORRECTIONAL JUSTICE ADMINISTRATION) का एक लक्ष्य यह भी है कि अपराधी के संपूर्ण व्यक्तित्व का सुधार हो जिससे उसे एक गरिमामय व्यक्ति बनाया जाएA पारिवारिक बंधन किसी भी कैदी को यह अवसर प्रदान करेंगे कि उसके व्यक्तित्व का सुधार हो और उसका संपूर्ण मानव विकास हो सकेA

प्रश्नः क्या कैदियों का वर्गीकरण करना चाहिए?

उत्तरः जी हॉA उनका वर्गीकरण आयु, लिंग, अपराधिक रिकार्ड और विशेष अभिवृति के आधार पर होना चाहिएA ऐसा करने से उनके प्रति सही व्यवहार करने में सहायता मिल सकेगीA

प्रश्नः क्या कैदियों को उनके द्वारा किये गए अपराध की संगीनता के अनुसार जेल में अलग रखना चाहिए?

उत्तरः जी हॉA

प्रश्नः क्या वे अपराधी जिनके विरूद्ध मुकदमा अभी विचाराधीन है उन्हें बाकी अपराधियों से अलग रखना चाहिए?

उत्तरः जी हॉA जापान में इस बात को विशेष महत्व दिया गया है और वे कैदी जिन पर मुकदमा अभी विचाराधीन हो उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग रखा जाता हैA उन्होंने 10 प्रकार का वर्गीकरण किया हैः–

- अनियमित या आकस्मिक अपराधी
- अभयस्त अपराधी
- वह अपराधी जिसे लम्बी सजा दी गई हो
- बाल अपराधी
- वह अपराधी जिनकी आयु 20– 25 वर्ष के बीच हो
- मानसिक रूप से अस्वस्थ अपराधी
- महिला अपराधी
- रोगी अपराधी जिन्हें उपचार की आवश्यकता हो
- वृद्ध अपराधी
- विदेशी अपराधी

प्रश्नः क्या राज्य सरकार कैदियों को उसी राज्य में स्थित एक जेल से दूसरी जेल में ले जाने के लिए निर्देश दे सकती है?

उत्तरः जी हॉA यह शक्ति कारागार के अधीक्षक के पास भी होती हैA

प्रश्नः कारागार के अधीक्षक को क्या करना चाहिए जब अपराध दोनों कानून, जेल अधिनियम और जेल मैनुअल एवं भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अन्तर्गत आता हो?

उत्तरः तब कारागार अधीक्षक के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह सीधा कैदी अधिनियम व जेल मैनुअल के अन्तर्गत कार्यवाही कर कैदी के लिए सजा निर्धारित कर सकता है या फिर वह कैदी को उपयुक्त कोर्ट जिसके पास उस कैदी द्वारा किए गये अपराध के विरूद्ध भारदीय दंड संहिता के अनुसार कार्यवाही करे जाने की शक्ति हो, वहां भेज सकता हैA

या दूसरे शब्दों में जेल अधीक्षक अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हुए जेल अधिनियम या जेल मैनुअल के अनुसार जो उसके विचार से उपयुक्त हो, ऐसे अपराधी की सजा निर्धारित कर सकता है, तब वह कैदी को मैजिस्ट्रेट के समक्ष उसी अपराध के लिए दोबारा सजा के लिए नहीं भेज सकताA इसके लिए जेल अधिनियम व जेल मैनुअल में भी प्रावधान दिए गये हैंA

प्रश्नः यदि कैदी बीमार हो तो क्या करना चाहिए?

उत्तरः उसका चिकित्सा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करवाना चाहिएA वह निर्णय लेगा कि इस कैदी को उपचार के लिए अस्पताल भेजना चाहिए या उसका उपचार हिरासत में ही किया जा सकता हैA

प्रश्नः क्या कैदियों के उपचार के लिए विशेष स्थान जैसे जेल–अस्पतालों का होना आवश्यक है?

उत्तरः जी हॉA

प्रश्नः इसका इन्चार्ज किसे होना चाहिए?

उत्तरः चिकित्सा अधिकारी कोA

प्रश्नः चिकित्सा अधिकारी किसके अधीन कार्य करता है?

उत्तरः वह कारागार के अधीक्षक के अधीन कार्य करता हैA

प्रश्नः क्या हर कैदी का वजन नियमित रूप से हर दूसरे रविवार चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में करवाना आवश्यक है?

उत्तरः जी हॉA चिकित्सा अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह वजन उस रजिस्टर में नोट करे जो वहां इसी प्रयोजन से रखा गया होA

प्रश्नः जेल स्टाफ को किस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए ?

उत्तरः उन्हें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और मानवीय विज्ञान में प्रशिक्षण देना चाहिएA हर जेल के स्टाफ में प्रशिक्षित अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता व कला–शिक्षकों के साथ मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक का होना भी अनिवार्य हैA

प्रश्नः कोर्ट को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए वारंट करते समय क्या करना चाहिए?

उत्तरः उसे उस कैदी की आयु लिखना आवश्यक हैA

प्रश्नः अगर कैदी की आयु के सम्बंध में शंका हो, तो मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति के सम्बंध में वारंट जारी करते हुए क्या करना चाहिए?

उत्तरः जहां व्यक्ति की आयु के सम्बंध में शंका हो वहां न्यायिक हस्तक्षेप करना आवश्यक बन जाता हैA

प्रश्नः क्या जेल प्रशासन किसी भी हिरासत के वारंट को मान्य मानने के लिए बाध्य है जब तक उसमें कैदी की आयु न दर्शायी गई हो?

उत्तरः जी नहींA यह जेल प्रशासन के उपर है यदि वह चाहे तो इस वांरट, जिसमें कैदी की आयु के बारे मे कोई जानकारी न हो उसे अस्वीकृत भी कर सकती हैA ऐसे वांरट को लागू करने के पहले अधिकारी को वैधिक रीति से वांरट जारी करने वाले कोर्ट के पास इस वारंट के सुधार के लिए भेजना चाहिए (देखिए संजय सूरी बनाम दिल्ली प्रशासन, 1987(2) SCALE 276)

प्रश्नः जेल सुधार के सम्बंध में मुल्ला कमेटी द्वारा क्या प्रस्ताव दिये गये?

उत्तरः निम्न प्रकार से हैंः–

- जेल प्रशासन सम्बंधी जितने भी अधिनियम हैं उन्हें समेकित कर एक नया संपूर्ण कानून बनाना चाहिए जो पूरे देश के लिए लागू हो सकेA

- जेल मैनुअल का पुर्नावलोकन अनिवार्य है और बाल अपराधियों के लिए एक अलग कानून बनाना आवश्यक है जो वर्तमान का BORSTAL SCHOOL ACT प्रतिस्थापन कर सकेA

- दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना आवश्यक है जिससे वह कैदी जिन पर मुकदमा अभी विचाराधीन हो उन्हें इनकी आधी सजा जो उन्हें अभियुक्त ठहराने पर मिलनी हो, पूरी होने पर अप्रतिबंध रिहा करना चाहिएA

- दया–याचना के केस की सुनवाई शीघ्र करनी चाहिए और किसी भी ऐसे केस में छह मास से अधिक अवधि नहीं होनी चाहिएA

- अपराध अधिकारियों की प्रथा को समाप्त कर जेल पंचायत लागू करना अनिवार्य है जिससे स्वयं सुधार और स्वयं प्रबंध की भावना उत्पन्न हो सकेA

- समरूप कैदियों के समूह को अलग वर्गीकृत संस्थाओं में रखा जा सकता हैA कैदियों को उनके निवास स्थान के निकट किसी जेल में रखने के सिद्धान्त का सामान्य रूप से अनुसरण किया जा सकता हैंA

- जेल में सकारात्मक वातावरण बनाना आवश्यक है इससे कैदियों के सुधार में सहायता उपलब्ध हो सकती है और उन्हें सुधार का अवसर मिल सकता हैंA

- महिला कैदियों को अलग स्थान पर जो विशेषतः इन्हीं के लिए बनाया गया हो, वहां रखना चाहिएA

- जेल अधिनियम 1894 की धारा 30 में दिये गये उपबंधों का संशोधन करना अनिवार्य है और उसके स्थान पर उन कैदियों को जिन्हें मृत्यु दंड दिया गया हो उनके साथ मानवीय और गरिमामय व्यवहार सम्बंधी नियम बनाने की आवश्यकता हैA

- कैदियों के लिए एक अलग वातावरण प्रदान करना उनके सुधार के लिए एक सकारात्मक कदम हो सकता हैA

- अपराध बढ़ने से रोकने के लिए और अपराधियों के सुधार के लिए कार्यक्रम बनाने ओर जेलों के विषय में राष्ट्रीय नीति बनाने के सम्बंध में जन सहयोग महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता हैA

- कैदियो के पुनर्वास के लिए संस्थाएं या अन्य इसी प्रकार के कार्य जो जेल से निकलने के बाद किसी कैदी को एक आम जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करें ऐसे कार्यक्रमों को जेल प्रशासन द्वारा ही चलाया जा सकता हैA

प्रश्नः जेल सुधार के सम्बंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया?

उत्तरः यह सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1978 के केस में दिया गयाA

प्रश्नः इस फैसले की क्या महत्वता थी?

उत्तरः इस फैसले द्वारा कोर्ट ने संवैधानिक नीतियॉं जो समानता स्वतंत्रता और मानव गरिमा से सम्बंधित हैं उन्हें जेलों में भी लागू करने को कहा गयाA ये भी कहा गया कि जेलों में भी इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए जो इन सामाजिक मूल्यों को मान्यता प्रदान करता होA इसमें कैदियों के मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 14, 19 और 21 में दिये गये हैं, उन्हें मान्यता प्रदान की गयी और जेल की चारदीवारी के भीतर न्यायिक क्षेत्राधिकार को जीवन प्रदान कर संवैधानिक मूल्यों को लागू करने की बात कही गईA

प्रश्नः कैदियों को उपयुक्त व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता पर किसने महत्व दिया?

उत्तरः हरियाणा सरकार द्वारा 1984 में स्थापित जेल सुधार कमीशन नेA कैदियों को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य राज्यों में स्थापित विभिन्न आयोगों द्वारा भी महत्व दिया गयाA

प्रश्नः संशोधित केन्द्रीय जेल मैनुअल 1960 ने क्या उपबंध दिये गये हैं?

उत्तरः इसमें कैदियों को सार्थर काम करने का अवसर प्रदान करने की बात की गई जिसमें उनके मुक्त होने पर कैदियों के पुनर्वास में सहयोग प्राप्त हो सके पर इन सुझावों को लागू करना बाकि हैA

प्रश्नः कैदियों के पुनर्वास के लिए जिससे वह भी आम नागरिकों की तरह एक साधारण नागरिक बन सके, क्या उपाय करने चाहिए?

उतरः हर राज्य सरकार को जेलों में कैदियों के लिए एक ऐसे वातावरण का विकास करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कैदियों को स्वयं सुधार का अवसर प्रदान हो। जेलों में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए न केवल शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करना होगा, बल्कि कैदियों के सुधार के लिए उन्हें सामाजिक और नैतिक मूल्यों को ग्रहण करने का अवसर देना चाहिए जिससे वह समाज में अपने लिए स्थान बना सकें।

प्रश्नः खुले जेलों को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है?

उत्तरः इसका उद्देश्य है उन कैदियों को जिनको लम्बे समय के लिए कारावास का दंड दिया गया हो उन्हें कारावास के दुष्परिणामों से बचाया जा सके और उन्हें जेलों की चारदिवारी में से अपराधिक वातावरण से हटाकर सुधरने का अवसर मिल सके।

प्रश्नः खुले जेलों को स्थापित करने के लिए किन सिद्धान्तों का प्रयोग किया गया?

उत्तरः खुले जेलों का विचार जेलों के इतिहास में एक नया कदम है और यह कैदियों को एक सन्तुलित वातावरण जिससे कैदियों के मानसिक विकास को क्षति न हो। यह कैदियों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक ऐसा प्रयोग है जिसका उद्देश्य है कि प्रदान करने के सिद्धान्त पर आधारित है। नवीनतम वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार सुधार के क्षेत्र में सलाखों के बिना जेलों के महत्व को स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

प्रश्नः खुले जेलों में रखने के लिए कैदियों का किस प्रकार चयन किया जाता है?

उत्तरः वह कैदी–

- जिनका आचरण ठीक हो और जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो;
- जो कठिन श्रम करने के लिए सहमत हो और खुले जेलों के नियमों का पालन कर सकें;
- जिन्हें एक या अधिक वर्ष का दंड दिया गया हो और अपनी एक चौथाई सजा पूर्ण कर चुके हों;
- या जिन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया गया हो और वह पांच वर्ष कारावास में पूर्ण कर चुके हों।

प्रश्नः किन कैदियों को साधारणतयाः खुले जेलों में कारावास पर नहीं रखा जा सकता?

उत्तरः निम्नलिखित कैदीः–

- अभयस्त अपराधी जो कोर्ट द्वारा ऐसे वर्गीकृत किये गये हों;
- ज्ञात अभयस्त अपराधी;
- वह कैदी जिन्हें कारावास के दंड के पिछले दो वर्षों में तीन या इससे अधिक जेल अपराधों के लिए मुख्य दंड दिये गये हों;
- वह कैदी जिनका केस अदालत में अभी विचाराधीन हो;
- वह कैदी जो मानसिक रोगी हो या किसी अन्य गंभीर रोग का शिकार हो;
- वह कैदी जो पहले ही गंभीर मानसिक रोगी हो;
- पलायन अथवा भगौड़े कैदी;

- व्यवसायिक हत्यारे कैदी;
- वह कैदी जिन्हें स्वापक औषधियों के सम्बंध में दंड दिया गया हो;
- स्तर 1 कैदी;
- महिला कैदीः
- वह कैदी जिनका हस्तांतरण खुले जेलों से बंद जेलों में किया गया हो;
- वह कैदी जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 121, 121–ए, 122, 123, 124, 124–ए, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 376, 392 से 402 के आधार पर दंडित किया गया हो।
- अन्य कैदी जो कारागार के अध्यक्ष के अनुसार खुले जेल में भेजे जाने के लिए अनुचित ठहराये गये हों।

प्रश्नः जेल प्रशासन में कोर्ट कब हस्तक्षेप कर सकता है?

उत्तरः जब भी कैदियो के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो या उन्हें वैधिक सुरक्षा प्रदान करने में अपेक्षा की गई हो, तब वैधिक नियम लागू कराने के लिए कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है।

जेलों में निरीक्षण के लिए न्यायिक अधिकारियों का कर्तव्य

प्रश्नः क्या अपराधिक न्यायिक अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वह कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करें और क्या इसके लिए जेलों में जाना आवश्यक है?

उत्तर जी हां।

प्रश्नः कैदियों के सुधार में शिक्षा का क्या महत्व है?

उत्तरः शिक्षा नवीनतम सुधार प्रक्रिया का एक आधार है। इससे न केवल असामाजिक तत्वों को बढ़ने से रोका जा सकता है बल्कि समाज के उत्थान के लिए

शिक्षा का अलग महत्व है। जेल शिक्षा के लिए एक आदर्श योजना वही होगी जिसमें साधारण और तकनीकी शिक्षा दोनों का महत्व दिया गया हो और कैदियों के वर्ग के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया जाए। कारागार में आम कार्यक्रमों के साथ, ऐसी प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए जिसमें नैतिक, सांस्कृतिक आत्मिक और रचनात्मक कार्यक्रमों का सृजन हो सके। कैदियों को मानसिकता में बदलाव लाने ओर उन्हें सुधारने के लिए उन्हें बंदीगृह में ही पढ़ने की सुविधा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए बाकि सुविधाएं जैसे किताब, अखबार आदि प्राप्त करने के लिए भी कैदियों को उपयुक्त अवसर प्रदान करना होगा। वह कैदी जो दंड पूर्ण कर चुके हैं, अक्सर उनके पुनर्वास में काफी व्यवहारिक कठिनाइयां होती हैं, उन्हें उपयुक्त काम नहीं मिल पाता, इसके लिए कैदियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है जिससे वह स्वयं–रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं।

प्रश्नः कैदियों के सुधार और पुनर्वास में स्वंयसेवी संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है?

उत्तरः स्वयंसेवी संस्थाएं कैदियों को शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। संस्थाओं की सेवांए जेलों में शिक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य कैम्प, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आयोजित करने में प्रयोग की जा सकती हैं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में स्वयंसेवी संस्थाओं को इस क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। पर मुल्ला कमेटी ने यह भी प्रस्तावित किया है कि सामुदायिक समूहों को कैदियों के मित्र के रूप में संगठित किया जा सकता है, जो किताबें, मैगजीन अथवा अन्य पत्रिकाएं जमा कर कैदियों में वितरित कर सकते हैं जिसे कैदी अपने खाली समय में पढ़ सकते हैं। साथ ही जेलों में कैदियों के हित में सामाजिक शिक्षा पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं जो सामाजिक और नैतिक विषयों पर प्रकाश डाल सकें।

———000———